

मध्य प्रदेश शासन,  
पर्यावरण विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

आदेश

भोपाल दिनांक 31 मार्च 2022

क्रमांक 317/1027/2021/32-3 जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण)(सम्मति) मध्य प्रदेश नियम 1975 के अन्तर्गत पर्यावरण विभाग के दिनांक 26/6/2018 एवं दिनांक 19/1/2022 के आदेश को अधिकृत करते हुये नियम 4 के में जारी अधिसूचना को निरस्त करते हुये नियम 4 के खण्ड (पांच) अनुसार 'उद्योगों/संस्थानों/इकाईयों' इत्यादि के द्वारा जल सम्मति हेतु प्रस्तुत आवेदन प्रपत्र के साथ यथा निर्दिष्ट सम्मति शुल्क सम्यक रूप से दिनांक 1/4/2022 के उपरांत आवेदन किये जाने पर देय होगा:-

सारणी एक

स्थापना सम्मति शुल्क (पांच वर्ष हेतु)(CTE)

| क | कुल विनिधान                                                        | शुल्क                                                                 |
|---|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 | रुपये 1 करोड से कम विनिधान राशि                                    | कुल विनिधान राशि का 0.04 प्रतिशत<br>अधिकतम शुल्क राशि रुपये<br>3000/- |
| 2 | रुपये 1 करोड एवं उससे अधिक किन्तु रुपये 10 करोड से कम विनिधान राशि | कुल विनिधान राशि का 0.03 प्रतिशत अधिकतम शुल्क रुपये<br>15000/-        |
| 3 | रु. 10 करोड एवं उससे अधिक किन्तु रुपये 50 करोड से कम विनिधान राशि  | कुल विनिधान राशि का 0.02 प्रतिशत अधिकतम शुल्क रुपये<br>50000/-        |
| 4 | रुपये 50 करोड एवं उससे अधिक विनिधान राशि                           | कुल विनिधान राशि का 0.01 प्रतिशत अधिकतम शुल्क रुपये<br>50 लाख         |

जल/वायु सम्मति हेतु पृथक-पृथक शुल्क देय होगा ।

सारणी दो

उत्पादन सम्मति शुल्क (प्रतिवर्ष हेतु)(CTO)

| क | कुल विनिधान                                                        | शुल्क                                                                 |
|---|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 | रुपये 1 करोड से कम विनिधान राशि                                    | कुल विनिधान राशि का 0.04 प्रतिशत<br>अधिकतम शुल्क राशि रुपये<br>3000/- |
| 2 | रुपये 1 करोड एवं उससे अधिक किन्तु रुपये 10 करोड से कम विनिधान राशि | कुल विनिधान राशि का 0.03 प्रतिशत अधिकतम शुल्क रुपये<br>15000/-        |

|   |                                                                   |                                                             |
|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 3 | रु. 10 करोड एवं उससे अधिक किन्तु रुपये 50 करोड से कम विनिधान राशि | कुल विनिधान राशि का 0.02 प्रतिशत अधिकतम शुल्क रुपये 50000/- |
| 4 | रुपये 50 करोड एवं उससे अधिक विनिधान राशि                          | कुल विनिधान राशि का 0.01 प्रतिशत अधिकतम शुल्क रुपये 50 लाख  |

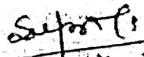
जल/वायु सम्मति हेतु पृथक-पृथक शुल्क देय होगा ।

### सारणी तीन

खदानों से स्थापना सम्मति (5 वर्ष) हेतु खदान क्षेत्र अनुसार रुपये 2,000/- प्रति हेक्टेयर एवं उत्पादन सम्मति हेतु खदान क्षेत्र अनुसार रुपये 1,000/- प्रति हेक्टेयर (प्रतिवर्ष) राशि शुल्क के रूप में ली जायेगी, तथा जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों हेतु पृथक-पृथक शुल्क देय होगा ।

विनिधान एवं क्रियान्वन के अन्तर्गत प्रक्रियात्मक बिन्दुओं पर बोर्ड द्वारा स्वयं निर्णय लिया जायेगा । उपरोक्त व्यवस्था दिनांक 1/4/2022 के उपरांत के आवेदनों पर प्रभावशील होगी ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम  
से तथा आदेशानुसार,

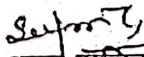
  
( सुप्रिया पेंडके )  
अवर सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन  
पर्यावरण विभाग

पृ.क्रमांक 318/1027/2021/32-3

भोपाल, दिनांक 31.3.2022

प्रतिलिपि:-

- (1) विशेष सहायक, मा. मंत्रीजी, पर्यावरण
  - (2) सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
अवर सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन  
पर्यावरण विभाग

फाइल नं - 4



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
पर्यावरण परिसर ई-5 सेक्टर अरेरा कालोनी भोपाल-16

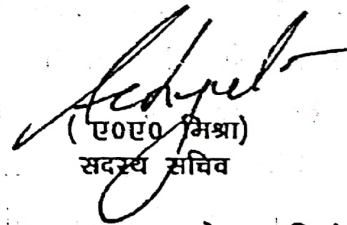
क्रमांक 1688 /स्था./प्रनिबो/2021

भोपाल, दिनांक

23 DEC 2021

कार्यालय आदेश

दिनांक 22 दिसम्बर 2021 को सम्पन्न राज्य बोर्ड की 158 वीं बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार, म0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नवीन स्थापित होने वाली इकाईयों हेतु जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त किये जाने वाली प्रथम, स्थापना सम्मति, उत्पादन सम्मति, परिसंकटमय व अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम 2016 के अंतर्गत प्राधिकार, ठेस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 अन्तर्गत प्रसंस्करण/पुनर्पयोग योग्य करने एवं निस्तारण हेतु प्राधिकार, जैविक-चिकित्सकीय प्रबंधन नियम 2016 अन्तर्गत प्राधिकार, ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2016 के अन्तर्गत प्राधिकार व प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अन्तर्गत पंजीयन की सुविधाओं को 30 दिन के अन्दर प्रदाय की जावेगी। उपरोक्त सुविधाओं हेतु सम्पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त, 30 कार्यदिवस में निर्णय नहीं होने पर, प्रकरण के बोर्ड में लंबित रहने पर, साफ्टवेयर के माध्यम से स्वतः प्रावधिक अनुमति [DEEMED CONSENT] प्रदाय की जावेगी तथा उक्त प्रावधिक सम्मति नियमित सम्मति /प्राधिकार जारी होने की तिथि तक वैध रहेगी।

  
( ए0ए0 मिश्रा )  
सदस्य सचिव

पृ.क्रमांक 1689 /स्था./प्रनिबो/2021

भोपाल, दिनांक

23 DEC 2021

- प्रतिलिपि :
- (1) मैनेजिंग डायरेक्टर, एम0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
  - (2) स्टॉफ आफिसर, अध्यक्ष, म0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
  - (3) समस्त यूनिट हेड मुख्यालय, समस्त औचलिक अधिकारी, समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, म0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
  - (4) समस्त औद्योगिक संगठन के प्रतिनिधियों की ओर सूचनार्थ। कृपया उद्योगों/संस्थानों को अवगत कराये।
  - (5) आई. टी. शाखा/नोटिस बोर्ड/आईडर बुक/गार्ड फाईल।